प्रेस नोट दिनाँक-18.10.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बल्देव सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 19/2016 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के वारण्टी अभियुक्त शिवा उर्फ शिवभवन पुत्र सच्चिलाल कोल निवासी कोटा कंदैला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री बल्देव सिंह थाना मानिकपुर
2. आरक्षी विपिन कुमार

(2). आज दिनाँक 18.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामींण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत जनसुनवाई आपके द्वार के तहत मो0नं0 8810747614 पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पडेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

इस दौरान महोदय द्वारा जनसुनवाई आपके द्वार के तहत वीडियो कॉलिंग से प्राप्त शिकायतों को भी सुना गया एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी एवं पैरोकार आरक्षी दिनेश कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। विशेष लोक अभियोजक सनद कुमार मिश्रा द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव अपर सत्र न्यायाधीश जनपद चित्रकूट द्वारा आज दिनाँक 18.10.2021 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 368/2014 धारा 302/34 भादवि0 के आरोपित अभियुक्तगण (1) धर्मेंद्र पटेल पुत्र राज नारायण पटेल निवासी बनकट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट एवं (2) भूपेंद्र पटेल उर्फ सज्जन पुत्र मोतीलाल निवासी द्वारकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवान कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(4). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 18.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में भ्रमण कर, एंटी रोमियो महिला थाना द्वारा कर्वी शहर में चुंगी चौराहा, चकरेही चौराहा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में जाकर भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया। एण्टी रोमियों टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं

आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

भ्रमण के दौरान महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया ।